

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 15-11-2016

क्रं/ एफ-6-2/2016/58 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए चयनित निम्नानुसार बीमा कम्पनियां अपने-अपने क्लस्टर अंतर्गत समस्त जिलों में करेंगी। यह स्कीम कृषकों के लिए ऐच्छिक आधार पर रहेगी:-

कलस्टर	कलस्टर में शामिल जिले	बीमा कंपनी
कलस्टर-A	बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, नीमच, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, उमरिया	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कलस्टर-B	देवास, आगर-मालवा, गुना, राजगढ़, सिवनी, अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी	इफको-टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कलस्टर-C	उज्जैन, बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, अलीराजपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कलस्टर-D	इंदौर, सागर, सीहोर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट	चोला मण्डलम् जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कलस्टर-E	खरगौन, धार, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, डिंडोरी	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2/ यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों का लाभ ऐच्छिक रूप से किसान द्वारा लिया जावेगा। योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिए माना जावेगा।

3/ यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	अनुभाग	प्रयोजन	बीमित राशि (रु.)	संकेतिक प्रीमियम राशि
1	2	3	4	5
1	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	लाभ (प्रति व्यक्ति) (अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये - 2,00,000 (ब) स्थाई पूर्ण दिव्यांगता रुपये - 2,00,000 (स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये-1,00,000	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति

15/11

Directorate of Horticulture
No. DH/PA/.../16/2...
Date: 15/11/2016

1	2	3	4	5
2	जीवन बीमा	मृत्यु जोखिम रूपये- 2,00,000 (प्रति व्यक्ति)	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति
3	आगजनी तथा संबंधित जोखिम	(अ) आवासीय भवन (ब) घरेलू सामग्री बीमा (गहने छोड़कर)	50,000 20,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त) रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
4	कृषि पंप सेट बीमा	विद्युत/डीजल पंप सेट 10 हार्स, पाँवर तक	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)
5	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा	लाभ (माता पिता/ विद्यार्थी के लिये) (सुरक्षा बीमा प्रति विद्यार्थी)		
		(अ) दुर्घटना से मृत्यु रूपये- 50,000 (प्रति माता पिता / विद्यार्थी)		
		(ब) पूर्ण स्थायी दिव्यांगता रूपये- 50,000 (प्रति विद्यार्थी)	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)
		(स) एक अंग/ आंख की क्षति रूपये-25,000 (प्रति विद्यार्थी)		
		(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर रूपये- 5,000 (प्रति विद्यार्थी)		
6	कृषि ट्रेक्टर बीमा			कृषि ट्रेक्टर हेतु स्टैंडर्ड मोटर बीमा पॉलिसी भारत सरकार की UPIS गाइड-लाईन के अनुसार नियम लागू होंगे।

4/ अन्य सभी नियम/निर्देश भारत सरकार की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम, UPIS गाइड लाईन के अनुसार लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अतुल कुमार मिश्रा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृ. क्र. एफ 6-2 /2016/58

भोपाल, दिनांक 15/11/2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग(कृषि भवन)नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व/वित्त/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ सहकारिता /आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड प्रधान कार्यालय 13 वीं मजिल अम्बादीप, बिल्डिंग 14 कस्तूरबा शाही मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001।
6. आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र., ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
8. निदेशक, भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग, अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल।
9. संभाग आयुक्त, (समस्त)।
10. कलेक्टर, जिला..... (समस्त)।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला.....(समस्त)।
12. प्रबंधक संचालक, राज्य सहकारी बैंक, टी.टी. नगर भोपाल।
13. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि, उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजी जा रही है।
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैदा मिल रोड, भोपाल।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (एस.एल.बी.सी)/नाबाई भोपाल।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय क्वालिटी ग्लोबस प्रथम तल मैदा मिल के पास भोपाल (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक एचडीएफसी एग्री, जी.आई.सी बैंक स्ट्रीट एम पी नगर जोन-2 भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक चोला मण्डलम, जी.आई.सी, एम पी नगर जोन-1 भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. वरिष्ठ प्रबंधक इफको टोक्यो, जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी ई-5/18, प्रथम मंजिल, अरेरा कालोनी विठ्ठल मार्केट भोपाल।
20. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग (समस्त), उप/सहायक संचालक उद्यान जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15-11-16
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य परसंस्करण विभाग